न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–4, गोरखपुर।

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–137/2022
रामनाथ व अन्य बनाम द्रोपदी देवी व अन्य
(एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012)

दिनांक 20–11–2025

1. पत्रावली आदेशार्थ हेतु पेश हुई। प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया है। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आया है।

2. अपीलार्थी/बालमुकुन्द आदि की तरफ से प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.08.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील से संबंधित मूलवाद संख्या–498/1986 रामसिंहासन आदि बनाम रामनाथ न्यायालय मुंसिफ गोरखपुर में बटवारे हेतु दाखिल किया गया था जिसमें वादी व प्रतिवादी सं०–1 के मध्य सुलह हुई थी। सुलह के आधार पर उपरोक्त मुकदमा मुंसिफ न्यायालय ने निर्णीत करते हुए शेष प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 04.04.1990 को खारिज कर दिया था, जिसके विरूद्ध तत्कालीन प्रतिवादी द्रोपदी देवी द्वारा सिविल अपील सं०–67/1991 द्रोपती देवी बनाम रामसिंहासन आदि न्यायालय जिला जज गोरखपुर में दाखिल की गयी। उपरोक्त सिविल अपील संख्या–67/1991 द्रोपदी बनाम राम सिंहासन आदि की पत्रावली सुलह हेतु दिनांक 23.09.1995 को लघुवाद न्यायालय गोरखपुर में ट्रान्सफर हो गयी। उक्त सिविल अपील न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) गोरखपुर में स्थानान्तरित हुई जिसमें न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) गोरखपुर ने दिनांक 27.04.2012 को सिविल अपील निर्णीत करते हुए निम्न आदेश पारित किया:–

> "अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.1990 निरस्त किया जाता है। पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2012 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकार यदि समझौता दाखिल करते हैं तो उस स्थिति

में विधि के अनुसार वाद को समझौता के आधार पर निर्णित करेंगे और यदि सभी पक्षकार समझौते में शामिल नहीं होते हैं तो उस स्थिति में वाद का विधि अनुसार निस्तारण करेंगे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही नियत तिथि के पूर्व नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित हो।"

3. उपरोक्त अपीलीय न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के विरूद्ध एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 रामनाथ मृतक व अन्य बनाम द्रोपदी देवी व अन्य मृतक रामनाथ के वारिसान ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नियमानुसार अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(U) सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल किया है। अतः न्यायालय जिला जज गोरखपुर अथवा वर्तमान न्यायालय को सुनवाई की अधिकारित नहीं है। एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 जो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है वह किसी गलतफहमी से जिला जज गोरखपुर को ट्रांसफर कर दी गयी, जिसका पुनः ट्रान्सफर होकर पत्रावली वर्तमान न्यायालय में आयी है, परन्तु वर्तमान न्यायालय को भी उपरोक्त एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 के सुनवाई की आधिकारिता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस एफ०ए०एफ०ओ० की सुनवाई की अधिकारित केवल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्राप्त है। इसलिए उपरोक्त एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 को वापस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सुनवाई हेतु भेजे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थिति में उपरोक्त एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 रामनाथ (मृतक) व अन्य बनाम द्रोपदी देवी व अन्य को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ वापस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भेजे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

4. सम्पूर्ण पत्रावली के परिशीलन से यह परिलक्षित है कि मूल वाद संख्या– 498/1986 रामसिंहासन बनाम रामनाथ आदि न्यायालय मुंसिफ गोरखपुर में विवादित मकानों के बटवारे के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया था। इस वाद को न्यायालय मुंसिफ गोरखपुर ने निर्णय दिनांकित 04.04.1990 द्वारा वादी व प्रतिवादी सं०–1 के मध्य हुए सुलहनामा कागज सं०–50क/1 के आधार पर निर्णीत कर दिया तथा सुलहनामा कागज सं०– 50क/1 को डिक्री का अंश बना दिया तथा शेष प्रतिवादी सं०–2 ता 8 के विरूद्ध दावा को निरस्त कर दिया।

मुंसिफ न्यायालय गोरखपुर के निर्णय दिनांक 04.04.1990 से क्षुब्ध होकर प्रतिवादिनी सं०–1 द्रोपदी द्वारा सिविल अपील संख्या–67/1991 श्रीमती द्रोपदी बनाम रामसिंहासन आदि न्यायालय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के यहाँ सिविल अपील दाखिल कर चुनौती दी गयी जो अंतरित होकर न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) गोरखपुर को प्राप्त हुई। अपीलीय न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) गोरखपुर ने निर्णय दिनांक 27.04.2012 द्वारा मुंसिफ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.04.1990 को निरस्त कर दिया तथा पक्षकारों को पुनः मुंसिफ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश देते हुए पत्रावली को विधि अनुसार निस्तारण करने हेतु मुंसिफ न्यायालय गोरखपुर को वापस कर दिया। अपीलीय न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 से क्षुब्ध होकर रामनाथ ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 रामनाथ बनाम द्रोपदी आदि संस्थित किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 में आदेश दिनांकित 22.11.2022 द्वारा बंगाल, आगरा एण्ड असम सिविल कोर्ट एक्ट 1881 के धारा 21 उपधारा 1(B) में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए इस एफ०ए०एफ०ओ० की पत्रावली को जनपद न्यायाधीश गोरखपुर को निस्तारण हेतु वापस प्रेषित कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 2022 से स्पष्ट है कि यह पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय से अन्तरित होकर जनपद न्यायाधीश गोरखपुर को विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित की गयी है। उक्त पत्रावली जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के आदेश से अन्तरित होकर इस न्यायालय को विधि अनुसार निस्तारण प्राप्त हुई है।

5. सम्पूर्ण पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–137/2022 वास्तव में एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 के निस्तारण से संबंधित है। एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 रामनाथ बनाम द्रोपदी आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) गोरखपुर के निर्णय दिनांकित 27.04.2012 के विरूद्ध संस्थित की गयी है अर्थात् अपीलार्थी रामनाथ की तरफ से प्रस्तुत एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 वास्तविक रूप से द्वितीय अपील है। स्वयं प्रार्थीगण बालमुकुन्द आदि की ओर से यह स्वीकृत तथ्य है

कि एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 के सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय जिला जज गोरखपुर को नहीं है। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की उक्त अपील द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत की गयी है जिसके सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में विहित प्रावधान के अनुसार द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किये जाने का उपबन्ध है। स्वयं अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा स्वीकृत तथ्यों से भी स्पष्ट है कि उपरोक्त एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए संस्थित की गयी है। द्वितीय अपील के रूप में उक्त पत्रावली का सुनवाई किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। प्रार्थी/अपीलार्थी विधिक परामर्श मिलने की स्थिति में विधि अनुसार द्वितीय अपील सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 रामनाथ बनाम द्रोपदी आदि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पुनः प्रेषित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या– 137/2022 निरस्त की जाती है। तदनुसार एफ०ए०एफ०ओ० संख्या– 2267/2012 रामनाथ बनाम द्रोपदी आदि निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल किया जावे।

दिनांक 20.11.2025

अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
पॉक्सों एक्ट कोर्ट सं–० 4, गोरखपुर।

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2025.11.20 15:07:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court